प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख	स्टाम्प और फोलियो की आपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख	आपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख	तारीख जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
1.8.06	3.8.06	5.8.06	5.8.06	5.8.06

अपर समाहर्त्ता, प0 सिंहभूम, चाईबासा का न्यायालय।

टी॰ ए॰ मिस केस नं0- 90/2006

=========

आ दे श

==========

26.7.2006, अभिलेख उपस्थापित। आवेदक प्रधान सिंह देवगम पिता स्व॰ सतारी देवगम एवं सतारी देवगम पिता स्व॰ सिंगा देवगम ,अनुसूचित जनजाति, जाति "हो" ग्राम लुपुंगगुटु,थाना मुफस्सिल चाईबासा,परगना कोल्हान, जिला प0 सिंहभूम, राज्य झारखण्ड का आवेदन पत्र, अंचल अधिकारी,सदर चाईबासा एवं ग्राम मुण्डा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन का अवलोकन किया। क्रेता एवं विक्रेताओं को सुना।

आवेदकगण मौजा लुपुंगगुटु,थाना संख्या 645 के खाता संख्या 28 अन्तर्गत प्लॉट संख्या 2188 रकवा 0.09 डी॰ जमीन क्रेता ब्रह्मा एक्का , पिता स्व॰ इलियास एक्का, मौजा लुपुंगगुटु,थाना मुफस्सिल चाईबासा, जिला प0 सिंहभूम परगना कोल्हान, राज्य झारखण्ड, अनुसूचित जनजाति जाति "उरांव" को कुल कीमत 1,35,000/- रूपये में मकान निर्माण के लिए राशि की आवश्यकता होने पर बिक्री करना चाहते हैं। इस जमीन को बिक्री के पश्चात इसी मौजा में खाता संख्या 28 एवं 48 में 9.25 एकड़ जमीन अवशेष है। आवेदित भूमि आवेदकों के नाम से नामांतरित है।

लुपुंगगुटु के मुण्डा श्री शंकर देवगम के द्वारा इस बिक्री के लिए अनुशंसा

Attested
15/06/2022
Headmistress
St. Xavier's Girls Middle School Chaibasa

[redacted]

-2-

अनुशंसा की गई है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति दाखिल नहीं किया गया है। क्रेता एवं विक्रेता एक ही गांव एवं थाना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं।

अतः आवेदक प्रधान सिंह देवगम पिता स्व. सतारी देवगम एवं सतारी देवगम, पिता स्व. सिंगा देवगम अनुसूचित जनजाति जाति "हो" ग्राम लुपुंगगुटु थाना मुफस्सिल चाईबासा, परगना कोल्हान, जिला प० सिंहभूम, राज्य झारखण्ड मौजा लुपुंगगुटु थाना संख्या 645 के खाता संख्या 28 अन्तर्गत प्लॉट संख्या 2188 रकबा 0.09 डी. जमीन क्रेता करुणा एक्का, पिता स्व. इलियास एक्का, मौजालुपुंगगुटु, थाना मुफस्सिल चाईबासा, जिला प० सिंहभूम, परगना कोल्हान, राज्य झारखण्ड, अनुसूचित जनजाति, जाति "उरांव" को कुल कीमत 1,35,000/- रुपये में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46(1) के प्रोभिजो "ए" के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

[redacted]

लेखाांतिप एवं संशोधित
ह/- अस्पष्ट:
अपर समाहर्त्ता,
प० सिंहभूम, चाईबासा।

ह/- अस्पष्ट: 26.7.2006
अपर समाहर्त्ता,
प० सिंहभूम, चाईबासा

[redacted]

टंकित किया
दिलीप कुमार हेम्ब्रोम
4.8.06

==========
पढ़ा गया
========

तुलना किया